अवैध बेसमेंट : बंद हुआ काम, जारी हुई नोटिस

सीएमओ के निर्देश पर नपा टीम ने मौके का निरीक्षण कर बिना अनुमति बन रहे बेसमेंट का बंद कराया काम

बिना अनुमति बन रहा अवैध बेसमेंट!
नवभारत
खबर का असर
नवभारत
अवैध बेसमेंट को धरस करने का है प्रावधान
इनका कहना है

सीधी, 14 जुलाई। सीएमओ के निर्देश पर नपा टीम ने मौके का निरीक्षण कर बिना अनुमति बन रहे बेसमेंट का काम बंद कराया। अवैध बेसमेंट का काम बंद हुआ और नोटिस जारी हुई।

बताते चलें कि शहर के वार्ड क्रमांक 13 में बिना अनुमति के विशाल बेसमेंट का निर्माण किया जा रहा था। जिसको लेकर आज नवभारत में शीर्षक बिना अनुमति बन रहा अवैध बेसमेंट! खबर का प्रकाशन होने पर नगर पालिका सीएमओ द्वारा इसे संज्ञान में लेते हुये मौके पर टीम भेजी गई। टीम द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में कहा गया कि शहर के करौंदिया उत्तर टोला (विष्णु नगर) वार्ड क्रमांक 13 सीधी में रकवा लगभग 100 गुणे 58 वर्गफिट पर कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय सिंगरौली एवं निकाय से अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना बेसमेंट (तलघर) का निर्माण कराया जा रहा था, जो पूर्णत: अवैध निर्माण होकर म.प्र. न.पा. अधिनियम 1961 की धारा 187(8) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं सम्पूर्ण निर्माण कार्य अवैध है। जांच प्रतिवेदन के बाद नगर पालिका सीएमओ द्वारा नोटिस क्रमांक 2968 जारी कर संबंधितों को उक्त अवैध बेसमेंट के निर्माण कार्य को तत्काल बंद कर कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय सिंगरौली ले-आउट पास कराने के उपरांत कार्यालय नगर पालिका सीधी से उक्त निर्माण कार्य की स्वीकृत प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण कार्य कराये जाने के निर्देश दिये गये है। अन्यथा की स्थिति में अवैध बेसमेंट का निर्माण हटा दिया जावेगा, जिसका जवाबदारी संबंधितों की स्वयं होगी।

निरीक्षण टीम में ये रहे शामिल

मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद सीधी महमूद हसन के निर्देश पर वार्ड क्रमांक 13 में बिना अनुमति के बन रहे अवैध बेसमेंट का निरीक्षण करने गये दल में वार्ड प्रभारी-13 अमरेन्द्र सिंह पटेल, अतिक्रमण प्रभारी मंगलेश्वर सिंह, वार्ड प्रभारी जय प्रकाश सिंह, शांति निकेतन पाण्डेय, अरुण सिंह शामिल रहे।

इन्हें जारी हुई नोटिस

नगर पालिका सीधी के सीएमओ द्वारा अवैध बेसमेंट निर्माण पर दीपक गुप्ता पिता रामशरण गुप्ता, जयपाल सिंह पिता ऋषि सिंह एवं अशोक पाण्डेय पिता वंशमणि पाण्डेय ग्राम करौंदिया उत्तर टोला (विष्णु नगर) वार्ड क्र .13 को नोटिस जारी कर अवैध बेसमेंट का निर्माण बंद करने के निर्देश दिये गये हैं। अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध म.प्र. न.पा. अधि. 1961 की धारा 187 (8) अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये कार्रवाई की जावेगी।

परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सीधी जिला प्रदेश में प्रथम

शिक्षा के क्षेत्र में सीधी ने रचा इतिहास, मप्र में हासिल किया पहला स्थान

नवभारत न्यूज

सीधी, 14 जुलाई। शिक्षा के क्षेत्र में सतत सुधार, प्रभावी शैक्षणिक प्रबंधन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था के बल पर जिला सीधी ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए भारत सरकार एवं राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) में पूरे मध्यप्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि जिले के लिए गर्व का विषय है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में किए गए निरंतर प्रयासों का प्रमाण है।

परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के अंतर्गत जिलों का मूल्यांकन सीखने के परिणाम, विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं, शिक्षा की समता एवं सुलभता, प्रशासनिक दक्षता, डिजिटल शिक्षा, शिक्षकों की उपस्थिति, नियमित मॉनिटरिंग तथा शैक्षणिक गुणवत्ता सहित अनेक महत्वपूर्ण मानकों पर किया जाता है। इन सभी मापदंडों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सीधी जिले ने प्रदेश के सभी जिलों को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। जिले में विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में सुधार, विद्यालयों में नियमित शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन, डिजिटल संसाधनों का प्रभावी उपयोग, पुस्तकालय एवं खेल सुविधाओं का विस्तार, छात्र-छात्राओं की नियमित उपस्थिति तथा प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए किए गए समन्वित प्रयास इस उपलब्धि के प्रमुख आधार रहे हैं। साथ ही शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, सतत शैक्षणिक मॉनिटरिंग और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था ने भी इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर कलेक्टर विकास मिश्रा ने जिलेवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता शिक्षा विभाग की पूरी टीम, शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों, छात्र-छात्राओं, अभिभावकों तथा जिला प्रशासन के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि भविष्य में शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाने के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी। जिला प्रशासन ने इस उपलब्धि के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, अतिरिक्त परियोजना समन्वयक, विकासखंड स्तरीय शिक्षा अधिकारियों, बीएसी, सीएसी, विद्यालय प्राचार्यों, शिक्षकों तथा शिक्षा विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि सीधी जिला आगामी वर्षों में भी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों का नया इतिहास रचेगा।

छात्र संगठन ने मुख्य सचिव भोपाल को सौंपा ज्ञापन

नवभारत न्यूज

सीधी 14 जुलाई। छात्र संगठन स्टूडेंट एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मध्यप्रदेश के कई जिलों में विशेष कर रीवा संभाग एवं बुंदेलखंड के कुछ जिलों एवं कुछ अन्य जिलों में भी 1 व 2 रूपये के सिक्कों का व्यापारियों एवं वाहन चालकों एवं अन्य दुकानदारों के द्वारा न लिए जाने के कारण छात्रों एवं अन्य आम जनों को 1 व 2 रूपये के स्थान पर 5 रूपये का व्यय करना पड़ता है। अर्थात 1 रूपये के स्थान पर ग्राहकों को 5 रूपये तक भुगतान करना पड़ता है, जबकि विधि के अनुसार यह सिक्के बंद नहीं है फिर भी इसका दुरुपयोग होता जा रहा है। इसी समस्या को लेकर इस छात्र संगठन

के संयोजक इंद्रलाल पटेल, धीरज पटेल, विनोद कुमार एवं अन्य ने भोपाल बल्लभ भवन पहुंचकर मुख्य अपर वित्त सचिव को ज्ञापन सौंपकर उक्त समस्या से अवगत कराया एवं कार्यवाही की मांग की। साथ ही इंद्रलाल ने आम जनता से भी आपस में सिक्कों का लेन-देन करने की अपील की है। उपरोक्त बात को लेकर जिला प्रशासन को पूर्व में भी अवगत कराया था, ऐसा न होने के उपरांत छात्र राजधानी का रुख अपनाया। मुख्य अपर सचिव कार्यवाही का आश्वासन दिया।

छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, मांगें पूरी नहीं हुई तो होगा बड़ा जनआंदोलन : एनएसयूआई

नवभारत न्यूज

सीधी 14 जुलाई। एनएसयूआई मध्यप्रदेश के प्रदेश सचिव विक्रांत सिंह परिहार के निर्देशानुसार अभिमन्यु सिंह के नेतृत्व में शासकीय कन्या महाविद्यालय सीधी की करीब 300 छात्राओं ने आज महाविद्यालय प्राचार्य को विभिन्न शैक्षणिक एवं प्रशासनिक समस्याओं के निराकरण हेतु विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की मांग की।

छात्राओं ने बताया कि महाविद्यालय में लंबे समय से परीक्षा परिणामों में अनावश्यक विलंब, शिक्षकों एवं कर्मचारियों की भारी कमी, नियमित प्रायोगिक कक्षाओं का अभाव, परिसर में व्याप्त

गंदगी, छात्राओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही, बंद पड़े सीसीटीव्ही कैमरे, वर्ष 2025 की लंबित छात्रवृत्ति, बैकलॉग विद्यार्थियों की समस्याएं तथा आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं से अवैध एवं अतिरिक्त शुल्क की वसूली जैसी गंभीर अनियमितताएं लगातार जारी हैं। इस अवसर पर प्रदेश सचिव विक्रांत सिंह परिहार ने कहा कि शिक्षा के मंदिरों को अव्यवस्था और लापरवाही का केन्द्र नहीं बनने दिया जाएगा। यदि महाविद्यालय प्रशासन ने छात्राओं की जायज मांगों पर तत्काल ठोस कार्रवाई नहीं की, तो एनएसयूआई छात्राओं के साथ मिलकर चरणबद्ध एवं लोकतांत्रिक जनआंदोलन शुरू करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी। ज्ञापन में लंबित परीक्षा परिणाम तत्काल घोषित करने, वर्ष 2025 की छात्रवृत्ति का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने, बैकलॉग विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय नियमानुसार आवश्यक राहत देने, शिक्षकों एवं कर्मचारियों की रिक्तियां भरने, नियमित प्रायोगिक कक्षाएं संचालित करने, छात्राओं की सुरक्षा के लिए स्थायी सुरक्षा गार्ड नियुक्त करने, सीसीटीव्ही कैमरे नियमित चालू रखने तथा अवैध एवं अतिरिक्त शुल्क की वसूली पर तत्काल रोक लगाने सहित अन्य छात्रहितैषी मांगें प्रमुख रूप से शामिल हैं। एनएसयूआई ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि इस ज्ञापन को भी अन्य ज्ञापनों की तरह ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया गया तो महाविद्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक व्यापक लोकतांत्रिक आंदोलन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बादल विश्वकर्मा, कोमल सिंह चौहान, प्रियांशी सिंह एवं रिया सिंह का विशेष सहयोग रहा। वहीं खुशबू सिंह चौहान, दीपांजलि सिंह, सुप्रिया सिंह, खुशी सिंह, काजल दुबे, राशि सिंह, साक्षी सिंह सेगर, प्रिया पाण्डेय, शुभी पाठक, अंजली सिंह, प्रिया द्विवेदी, सिया विश्वकर्मा, रुही सहित बड़ी संख्या में छात्राओं ने सक्रिय सहभागिता करते हुए छात्रहित की इस मुहिम को सफल बनाया।

सीईओ जिला पंचायत ने 400 से अधिक आवेदनों पर की जनसुनवाई

नवभारत न्यूज

सीधी 14 जुलाई। शासन की मंशा के अनुरूप आमजन की समस्याओं का त्वरित, प्रभावी एवं संवेदनशील निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगलवार को जिला पंचायत सभागार में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे 400 से अधिक आवेदकों की समस्याएं सुनीं।

उन्होंने प्राप्त प्रत्येक आवेदन का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं

पारदर्शी निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, लोक निर्माण, नगर निकाय, पेयजल, महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। सीईओ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक प्रकरण का नियमानुसार परीक्षण करते हुए निर्धारित समय-सीमा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई केवल शिकायत दर्ज करने का माध्यम नहीं, बल्कि नागरिकों को वास्तविक राहत प्रदान करने की व्यवस्था है। इसलिए पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाए तथा शिकायतों के निराकरण में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। सीईओ ने कहा कि जिन प्रकरणों का निराकरण मौके पर संभव था, उनमें तत्काल आवश्यक निर्देश दिए गए, जबकि जांच अथवा मैदानी सत्यापन अपेक्षित मामलों में संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में जांच पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई के दौरान अतिरिक्त सीईओ जिला पंचायत धनंजय मिश्रा सहित जिले के सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

अमिलिया पुलिस ने दो नाबालिग बालिकाएं की दस्तयाब, परिजनों को सौंपा

नवभारत न्यूज

सीधी 14 जुलाई। थाना अमिलिया पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में दो नाबालिग बालिकाओं को सकुशल दस्तयाब कर परिजनों को सौंपा। तकनीकी साक्ष्यों व साइबर सेल की मदद से एक बालिका हनुमना से, दूसरी इंदौर ग्रामीण से बरामद की गई।

पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के निर्देशन, अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी एवं एसडीओपी चुरहट रवि प्रकाश कौल के मार्गदर्शन में थाना अमिलिया पुलिस ने दो अलग-अलग अपहरण प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई कर दोनों नाबालिग बालिकाओं को सकुशल दस्तयाब

कर परिजनों के सुपुर्द किया। प्रकरण क्रमांक 01 में हनुमना क्षेत्र से दस्तयाबी हुई। पुलिस के अनुसार 10 जुलाई 2026 को फरियादिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी 14 वर्ष 10 माह की पुत्री घर से बिना बताए चली गई है तथा उसका मोबाइल बंद है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। तकनीकी साक्ष्यों एवं साइबर सेल की सहायता से 13 जुलाई 2026 को नाबालिग को थाना हनुमना क्षेत्र से सकुशल दस्तयाब कर परिजनों को सौंपा गया।

प्रकरण क्रमांक 02 में इंदौर ग्रामीण से दस्तयाबी की गई। 1 जुलाई 2026 को फरियादिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी 17 वर्ष 7 माह की पुत्री 30 जून से लापता है। तलाश के बाद भी पता न चलने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अथक प्रयासों के बाद 13 जुलाई को नाबालिग को थाना मानपुर जिला इंदौर ग्रामीण क्षेत्र से सकुशल दस्तयाब किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई उपरांत दोनों बालिकाओं को सुरक्षित परिजनों के सुपुर्द किया गया। इस कार्रवाई में निरीक्षक राकेश बैस के नेतृत्व में उनि राजमणि अहिरवार, आरक्षक संदीप चौबे, रामायण मिश्रा, बंशलाल सिंहए, नरेन्द्र पाण्डेय, बृजेश बैस, मआर स्वाती कुशवाहा, संगीता बैस एवं साइबर सेल टीम की विशेष भूमिका रही।

एक नजर में

18 को लगेंगे अंत्योदय स्वास्थ्य शिविर

सीधी। जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 18 जुलाई शनिवार को जिले के चार स्थानों पर अंत्योदय स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविरों में स्वास्थ्य परीक्षण, विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के साथ पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए जाएंगे। सीईओ जिला पंचायत शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र धौहनी के ग्राम पंचायत भुईमाड़, सीधी विधानसभा के खाम्ह, चुरहट विधानसभा के मौरा तथा सिहावल विधानसभा के व्यवहारखाड़ में प्रात: 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शिविरों का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय विभाग तथा आयुष विभाग के संयुक्त सहयोग से किया जाएगा। शिविरों के सफल संचालन हेतु संबंधित सीडीपीओ एवं बीएमओ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सीईओ ने निर्देश दिए हैं कि शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार ग्राम पंचायतों में मुनादी एवं अन्य माध्यमों से सुनिश्चित किया जाए तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग शिविर का लाभ उठा सकें। उन्होंने आमजन से अपील की है कि स्वास्थ्य परीक्षण एवं आयुष्मान कार्ड निर्माण की सुविधा का लाभ लेने के लिए शिविर में आधार कार्ड एवं समग्र आईडी अनिवार्य रूप से साथ लेकर आएं। शिविर के दौरान स्वास्थ्य परीक्षण के साथ-साथ उपस्थित नागरिकों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई जाएगी।

रंगमंच पर जीवंत होगी बंका बैगा की गौरव गाथा

सीधी। वंदे मातरम् राष्ट्रगीत की सार्धशती के उपलक्ष्य में आयोजित ''भारत स्पीक्स थ्रू थिएटर - युवा रंगमंच से राष्ट्र जागरण'' अभियान के अंतर्गत 15 जुलाई 2026 को ग्राम पंचायत गांधीग्राम में जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बांकेलाल उर्फ़ बंका बैगा के जीवन, संघर्ष और बलिदान पर आधारित भव्य रंगमंचीय नाटक ''बंका बैगा'' का मंचन किया जाएगा। यह आयोजन संगीत नाटक अकादेमी, नई दिल्ली एवं इन्द्रवती नाट्य समिति सीधी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होगा। यह रंगमंचीय प्रस्तुति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समाज के अमूल्य योगदान, जल-जंगल-जमीन की रक्षा, स्वाभिमान, सांस्कृतिक अस्मिता और राष्ट्रभक्ति की भावना को समर्पित है। नाटक के माध्यम से बंका बैगा के अदम्य साहस, संघर्ष, त्याग और बलिदान की प्रेरक गाथा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे युवा पीढ़ी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के गौरवपूर्ण योगदान से परिचित हो सके। कार्यक्रम का शुभारंभ अपराह्न 3 बजे बंका बैगा की प्रतिमा पर पूजा-अर्चना, पुष्पांजलि एवं सैला जनजातीय नृत्य के साथ होगा। इसके पश्चात 4 .30 बजे तोरण द्वार से कार्यक्रम स्थल तक शोभायात्रा निकाली जाएगी। सायं 5 बजे भजन, निर्गुण एवं देशभक्ति गीतों की संगीतमय प्रस्तुतियां होंगी तथा सायं 6 बजे बहुप्रतीक्षित रंगमंचीय नाटक ''बंका बैगा'' का मंचन किया जाएगा। आयोजकों ने क्षेत्र के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों एवं संस्कृति प्रेमियों से इस राष्ट्रीय सांस्कृतिक आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है।

कंस्ट्रक्शन मजदूर महासंघ ने की निर्माण श्रमिकों की बैठक आयोजित

नवभारत न्यूज

सेमरिया 14 जुलाई। ग्राम पंचायत कुबरी में कंस्ट्रक्शन मजदूर महासंघ द्वारा निर्माण श्रमिकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में श्रमिकों ने भाग लेकर अपने अधिकारों, समस्याओं एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की।

बैठक में विकास नारायण तिवारी ने म.प्र. भवन एवं अन्य

संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए श्रमिकों से अपने पंजीयन का समय पर नवीनीकरण कराने तथा शासन द्वारा संचालित शिक्षा, स्वास्थ्य, मातृत्व, विवाह सहायता एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह किया। उन्होंने श्रमिकों से संगठित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर कंस्ट्रक्शन मजदूर महासंघ के प्रदेश महामंत्री लोकेश विजयवर्गीय का संदेश भी श्रमिकों के बीच साझा किया गया। उन्होंने कहा कि महासंघ प्रदेश के प्रत्येक जिले में संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रहा है।

स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग की संयुक्त बैठकों का होगा आयोजन आज से

नवभारत न्यूज

सीधी 14 जुलाई। कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से 15 जुलाई से ब्लॉक एवं सेक्टर स्तर पर संयुक्त बैठकों का आयोजन किया जाएगा। ब्लॉक स्तरीय संयुक्त बैठकें संबंधित जपं सभागार में आयोजित होंगी। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 15 जुलाई को रामपुर नैकिन, 16 को सिहावल, 22 को कुसमी, 23 को मझौली तथा 29 जुलाई को चुरहट विखं में बैठक आयोजित होगी। हर शनिवार को संबंधित विकासखंडों में सेक्टर स्तरीय संयुक्त बैठकें आयोजित होंगी। इन बैठकों में सेक्टर मेडिकल ऑफिसर, महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी संयुक्त समीक्षा करेंगे।

संस्था प्रमुखों की मनमानी से दर्जनों अतिथि शिक्षकों की नहीं हुई रि-ज्वाइनिंग

पुराने अतिथि शिक्षकों को हटाने चल रही हैं साजिशें, संबंधित अधिकारियों के पास शिकायतों का लगा अम्बार

नवभारत न्यूज

सीधी 14 जुलाई। नए शैक्षणिक सत्र में पुराने अतिथि शिक्षकों को हटाने के लिए संस्था प्रमुखों द्वारा तरह-तरह के हथकंडे अपनाए गए। लिहाजा दर्जनों अतिथि शिक्षकों की रि-ज्वाइनिंग नहीं हो सकी। रि-ज्वाइनिंग न होने से पीड़ित अतिथि शिक्षकों द्वारा संकुल से लेकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी समेत कलेक्टर को भी आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई गई।

तत्संबंध में पीड़ित अतिथि शिक्षकों का कहना है कि संस्था प्रमुखों द्वारा आवश्यकतानुसार

पदों को अपडेट न करने के कारण उनकी रिक्वेस्ट सेंड नहीं हो पाई। वहीं स्थानांतरण से आए नियमित शिक्षकों के चलते भी कई पुराने अतिथि शिक्षकों की रि-ज्वाइनिंग नहीं हो सकी। तत्संबंध में तहसील सिहावल अंतर्गत पहाड़ी निवासी अतिथि शिक्षक श्रीमती प्रिया मिश्रा ने बताया कि विगत वर्ष 2022-23 से शापूमावि मुर्दाडीह संकुल केन्द्र पीएमश्री शाउमावि संकुल केन्द्र हटवा खास में वह अतिथि शिक्षक वर्ग 3 के पद पर वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक कार्यरत थीं। किन्तु वर्ष 2026-27 में पोर्टल में रिक्त स्थान केवल दो ही प्रदर्शित थे। जिसमें दो अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति वर्ग 3 में करा ली गई। जबकि छात्र संख्या अनुसार एवं एईओ वाइज विद्यालय में 3 वैकेंसी हैं। सत्र 2025-26 में श्रीनाथ तिवारी की पदस्थापना शामावि कुर्रवाह से शापूमावि मुर्दाडीह में स्थानांतरण से हो गई थी। किन्तु श्रीनाथ तिवारी द्वारा उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश हासिल कर फिर से कुर्रवाह विद्यालय में ज्वाइन कर लिया गया। लेकिन मुर्दाडीह विद्यालय के पोर्टल में श्रीनाथ तिवारी की पदस्थापना आज भी प्रदर्शित हो रही है। जिसके कारण उनकी रि-ज्वाइनिंग नहीं हो पाई।

सुनियोजित तरीके से रोकी गई रि-ज्वाइनिंग : प्रिया

शापूमावि मुर्दाडीह की अतिथि शिक्षक श्रीमती प्रिया मिश्रा ने कहा है कि

उनकी रि-ज्वाइनिंग इस वर्ष सुनियोजित तरीके से रोकी गई। पोर्टल में पद अपडेट न होने पर उनके द्वारा संस्था प्रमुख, संकुल प्राचार्य, बीईओ, जिला शिक्षा अधिकारी तक शिकायत लिखित रूप में की गई। जिस पर उन्हें जल्द पद अपडेट कराने का आश्वासन दिया जाता रहा। यह कहा जा रहा था कि 11 जुलाई तक रि-ज्वाइनिंग हो जाएगी। जब कुछ नहीं हुआ तो जिला शिक्षा अधिकारी के यहां 13 जुलाई को फिर से आवेदन दिया गया। जिस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। उनका आरोप है कि स्थानांतरित शिक्षक श्रीनाथ तिवारी को हाईकोर्ट से स्टे मिलने पर वह कुर्रवाह विद्यालय में पदस्थ हो चुके हैं फिर भी महीनो बाद उक्त पद को मुर्दाडीह विद्यालय में अपडेट कराने की जरूरत नहीं समझी गई।

इनका कहना है

विद्यालय के लिए स्थानांतरित शिक्षक श्रीनाथ तिवारी को हाईकोर्ट से स्टे मिलने पर वह अपने पुराने विद्यालय कुर्रवाह में कार्य कर रहे हैं। फिर भी उनके विद्यालय के रिक्त पद पर उनका नाम अब भी पोर्टल में दर्ज है। उक्त सुधार के लिए उनके द्वारा वरिष्ट कार्यालयों से पत्राचार किया गया है। उम्मीद है कि डीपीआई से जल्द निराकरण होगा।

सुखनंदन प्रजापति, प्रधानाध्यापक शापूमावि मुर्दाडीह